भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्ना संख्या1- 413

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधि

413. डॉ. उमेश जी. जाधवः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत कर्नाटक को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शीर्ष और विभाग-वार अंतरित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से विभिन्न विकास कार्यों हेतु राज्य को अधिक निधि आबंटित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक को विकासात्मक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए अधिक निधि प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधि" के संबंध में डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा 22 जुलाई, 2019 के लिए पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्नन संख्यां413 के भाग (क) से (ग) के उत्तार में उल्लि खित विवरण

(क) से (ग): केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं, वित्त आयोग अंतरण और अन्य अंतरण जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष , विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुदान और ऋण दोनों) आदि के तहत धनराशि हस्तांतरित की जाती है। इनके अलावा , 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को विभाज्य करों के केंद्रीय पूल से अंतरण किया जाता है। केंद्र सरकार अपने द्वारा 100% वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में सामाजिक और अवसंरचना विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं लागू करती है। पिछले तीन वर्षों में किए गए धनराशि के ऐसे आबंटन/अंतरण का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	वर्ग	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (सं.प्रा.)	2019-20 (ब.प्रा.)
1.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	241296	285448	304849	331610
2.	वित्त आयोग अंतरण	95550	92244	106129	120466
3.	अन्य अंतरण	54650	80567	96827	145054
4.	व्यय बजट में कुल अंतरण (1+2+3)	391496	458259	507805	597130
5.	करों के विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा	608000	673005	761454	809133
6.	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें	589471	587785	736796	870794

2. केन्द्र प्रायोजित स्कीम (पीएफएमएस सूचना) के तहत कर्नाटक को हस्तांतरित धनराशि के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 16.07.2019 तक व्यय बजट में कुल अंतरण और करों के विभाज्य पूल में कर्नाटक के हिस्से के लिए हस्तांतरित धनराशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	वर्ग	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (सं.प्रा.)	2019-20
1.	**केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत जारी धनराशि**	8858	12165	11019	4033
2.	**वित्त आयोग अंतरण (क+ख)**	2774	2708	3374	1955
क	राज्य आपदा मोचन कोष	218	229	288	- *
ख	स्थानीय निकाय अनुदान	2556	2479	3086	1955**
3.	**अन्य अंतरण (ग+घ)**	4236	2881	2415	827
ग	राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष	2293	913	960	515
घ	विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजना से सहायता	1943	1968	1455	312
4.	व्यय बजट में कुल अंतरण (1+2+3)	15868	17754	16808	6815
5.	करों के विभाज्य पूल से कर्नाटक को जारी धनराशि	28760	31752	35895	7005***

* 2019-20 (ब.प्रा.) में किया गया आबंटन 252 करोड़ रुपए है।

** 2019-20 (ब.प्रा.) में किया गया आबंटन 4607 करोड़ रुपए है।

*** कर्नाटक के लिए 2019-20 (ब.प्रा.) में किया गया आबंटन 39806 करोड़ रुपए है।

3. वित्त आयोग अंतरण और कर अंतरण 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और उसके द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार किए जाते हैं। केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत धनराशि का अंतरण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित शेयरिंग पैटर्न के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं जिनका 100% वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये सभी राज्यों में विभिन्न विकास कार्यों में योगदान देती हैं।

*****